W/R

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी / टीए /4496/2012/ जिला झुंझुनू

श्योपाल पुत्र श्री बालिया जाति मेघवाल, उम्र 70 साल, निवासी जसरापुर, तहसील खेतडी जिला झुंझुनू।

.....प्रार्थी

बनाम

1– सरकार जरिये तहसीलदार खेतडी जिला झुंझुनू।
2– थावरमल पुत्र लादुराम
3– छैलाराम पुत्र लादुराम
4– ओमप्रकाश पुत्र लादुराम
समस्त जाति मेघवाल, निवासी जसरापुर, तहसील खेतडी जिला झुंझुनू।

.....अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री मूलचन्द मीणा, सदस्य

उपस्थित :
श्रीमती ज्योति पारीक, अभिभाषक प्रार्थी।
श्री एस.पी.सिंह अभिभाषक अप्रार्थीगण संख्या–2 से 4।

निर्णय

दिनांकः– 30–11–2012

1– यह निगरानी न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर झुंझुनू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24–04–2012 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2– निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी संख्या 2 से 4 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सांवरमल व बजरंगलाल के विरूद्ध तहसीलदार खेतडी के समक्ष रास्ता खुलवाये जाने हेतु प्रस्तुत किया। तहसीलदार खेतडी ने प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 1116 मे से 8 फूट रास्ता मानकर आदेश दिनांक 14–06–2011 को

रास्ता खुलाने के आदेश पारित कर दिये। उक्त आदेश की अपील प्रार्थी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर झुंझुनू के समक्ष प्रस्तुत की गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर झुंझुनू ने अपने निर्णय दिनांक 24–02–2012 द्वारा प्रार्थी की अपील खारिज कर दी। उक्त निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी मंडल में पेश की गई है।

3– उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी मेमों में उल्लेखित तथ्यों को दोहरात हुये अभिकथन किया कि खसरा नंबर 1116 प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है तथा उसमें मौके पर किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है एंव ना ही राजस्व रिकोर्ड व नक्शें में रास्ता दर्ज है। तहसीलदार खेतडी ने प्रार्थी के विरूद्ध बिना मौके की विधिवत जांच किये एकतरफा आदेश पारित कर दिये। विवादित आराजी प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है तथा उसे न तो कोई विधिवत् नोटिस तामील करवाया है और न ही साक्ष्य सुनवाई आदि का पूर्ण अवसर दिया गया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता सिर्फ बंद रास्ता खुलवाया जा सकता है या रास्ते में उत्पन्न अवरोध को हटाया जा सकता है। किन्तु तहसीलदार ने प्रार्थी की खातेदारी भूमि में से नया रास्ता कायम करने के आदेश पारित कर दिये। अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा उक्त विधि विरुद्ध आदेश को बहाल रख दिया। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाकर निगरानी स्वीकार की जावे।

5– उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी द्वारा खसरा नंबर 1116 की पश्चिमी सीमा के सहारे जाने वाले रास्ते में पत्थर व तारों की बाड लगाकर तथा डोला लगाकर रास्ते को बंद करने पर रास्ता अवरूद्ध होने की स्थिति में ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये आदेश पारित किया गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में ऐसी कोई विधिक या तथ्यात्मक भूल नहीं की गयी है कि निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप अपेक्षित हो। नीचे की दोनों न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं और निगरानी का दायरा अत्यन्त सीमित होता है। जब तक आलोच्य आदेश में भयंकर विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं हो, निगरानी द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे।

6– निगरानी प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों और अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं दोनों आलोच्य निर्णयों

का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया और दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया।

7— प्रकरण में खातेदार छेलाराम के श्री प्रमोद कुमार द्वारा दिनांक 28—03—2011 को रात्रि चौपाल में सरपंच ग्राम पंचायत जसराजपुर के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के आधार पर ही तहसीलदार द्वारा हस्तगत प्रकरण दर्ज करके आदेश दिनांक 14—06—2011 पारित किया है। उक्त प्रार्थनापत्र में आवेदक द्वारा अंकित किया गया है कि **''हम खेत में रहते हैं, हमारे खेत में जाने के लिये शुरू से ही पगडण्डी है।''** इस प्रकार आवेदन पत्र, जिसके आधार पर कार्यवाही प्रारम्भ की गयी उसमें केवल पगडण्डी होने का उल्लेख है। उक्त प्रार्थनापत्र में यह अभिवचन नहीं किया गया है कि पूर्व में कोई 8 फीट चौड़ा रास्ता प्रचलित रहा हो, जिसे बन्द कर दिया गया है। पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 04—05—2011 और रिपोर्ट दिनांक 20—05—2011 में भी यह उल्लेख नहीं है कि मौके पर पूर्व प्रचलित रास्ता रहा हो, जिसे बन्द कर दिया गया हो। दोनों ही रिपोर्टों में यह अंकित है कि मौके पर पगडण्डी है जिसका उपयोग थावरमल आदि अपने खेत/घरों तक आने जाने के लिये करते हैं किन्तु पगडण्डी इतनी छोटी है कि आवेदकों को पेरशानी का सामना करना पड़ता है। बाद में एक और रिपोर्ट पटवारी से दिनांक 02—06—2011 को ली गयी जिसके अनुसार दो वर्ष पूर्व श्योपाल ने रास्ते को पगडण्डी में बदल दिया है। पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 02—06—2011 न केवल पूर्व की रिपोर्टों दिनांक 04—05—2011 व दिनांक 20—05—2011 से भिन्न है अपितु मूल प्रार्थनापत्र में आवेदक द्वारा अंकित तथ्य से भी भिन्न है। इसके अलावा रिपोर्ट दिनांक 02—06—2011 पर मौके के किसी गवाह/मौतविर के हस्ताक्षर भी नहीं है। अतः उक्त पश्चातवर्ती रिपोर्ट दिनांक 02—06—2011 विश्वसनीय नही है। हमारा मत है कि खसरा नम्बर 1116 के पश्चिमी सीमा के साथ साथ खसरा नम्बर 1120 में जाने के लिये बैलगाड़ी आदि आने जाने जितना चौड़ा रास्ता कभी भी प्रचलित नहीं रहा अपितु सदैव से ही पगडण्डी रही है। आवेदक प्रमोदकुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 28—03—2011 वस्तुत पूर्व में प्रचलित पगडण्डी को पर्याप्त चौड़ाई के रास्ते में बदलवाने बाबत है। इस प्रकार प्रकरण पूर्व में प्रचलित रास्ते को खुलवाने का नहीं है अपितु नवीन रास्ता कायम करने के सम्बन्ध में है।

8— न्यायिक दृष्टान्त 1988 RRD 699, 1997 RRD 148 और 1998 RRD 204 सहित न्यायिक निर्णयों की एक लम्बी श्रृंखला है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि तहसीलदार को धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत नवीन रास्ता कायम करने के अधिकार नहीं है अपितु पूर्व में प्रचलित रास्ते को किसी व्यक्ति द्वारा बन्द कर दिये जाने पर उसे वापिस खुलवाने के ही अधिकार हैं। धारा 251

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि पूर्व में वास्तविक रुप से उपयोग में आ रहे (way in actual enjoyment) रास्ते को बन्द कर देने अथवा व्यवधान डालने पर ऐसे व्यवधान को हटाने तथा पूर्व में प्रचलित रास्ते को खुलवाने के सम्बन्ध में ही तहसीलदार को धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में शक्तियां प्राप्त हैं। नवीन रास्ता कायम करने का प्रावधान धारा 251 में नहीं है। अप्रार्थीगण संख्या 2 से 4 थावरमल आदि का प्रकरण नवीन रास्ता कायम कराने का है जो कि धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत सम्भव नहीं है।

9— काश्तकारों की सुविधा हेतु नवीन रास्ते का प्रावधान राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 2010 द्वारा अधिनियम, 1955 में जोड़ी गयी नवीन धारा 251—क में है। अप्रार्थीगण थावरमल आदि अगर अपने खेतों/घरों तक आने जाने के लिये नवीन रास्ता कायम कराना चाहते हैं तो उन्हें उक्त नवीन धारा 251—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय (सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी) में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करके अनुतोष प्राप्त करना चाहिये।

10— उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह मत है कि तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 14—06—2011 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 के प्रावधानों के विपरीत है। विद्वान अतिरिक्त कलेक्टर, झुन्झुनु द्वारा भी ऐसे विधि विरुद्ध एवं क्षेत्राधिकार विहीन आदेश को बहाल रख कर विधिक त्रुटि कारित की है। अतः हस्तगत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य होने से एतदद्वारा स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 14—06—2011 एवं अतिरिक्त कलेक्टर, झुन्झुनु द्वारा अपील संख्या 10/2012 में पारित आदेश दिनांक 24—02—2012 को एतदद्वारा अपास्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मूलचन्द मीणा)
सदस्य